

RAJYA SABHA

Thursday, the 29th November, 2001 /8 Agrahayana, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman *in the Chair*.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

* 161. [The Questioner (Shri Nana Deshmukh) was absent. For answer vide page 24 *infra*.]

*162. [The Questioner (Shrimati Jayaprada Nahata) was absent. For answer vide page 25 *infra*.]

छत्तीसगढ़ में धान और चावल की खरीद

*163. श्री लक्खीराम अग्रवाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र (अब छत्तीसगढ़ राज्य) में भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों द्वारा राज्य में वर्ष —वार कितना-कितना धान और चावल खरीदा गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): एक विवरण सभा-पटल जी रखा जा रहा है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ क्षेत्र (अब छत्तीसगढ़ राज्य) में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल की गई धान और चावल की मात्रा निम्नानुसार है: (आंकड़े टन में)

वर्ष	धान
	चावल
1999-2000	4,51,000
	9,39,335
2000-2001	6,02,000
	6,35,942

Paddy and Rice procurement in Chhattisgarh

† * 163. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state the quantum of paddy and rice procured by the Food Corporation of India and other agencies of the State Government in Chhattisgarh area (now Chhattisgarh State) during the last two years, year-wise?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): A statement is laid on the Table of the House.

The quantity of paddy and rice procured by FCI and the State Agencies in Chhattisgarh area, (now Chhattisgarh State) during the last two years is as under:—

(Figures in Tonnes)		
Year	Paddy	Rice
1999-2000	4,51,000	9,39,335
2000-01	6,02,000	6,35,942

श्री लक्खीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, पिछली दफा छत्तीसगढ़ में अकाल था और इस दफा उसके एवज में छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक फसल हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में इस साल धान और चावल खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने क्या व्यवस्था की है? जहां तक मेरी जानकारी है, सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सौंपी है। इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार को सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने के लिए किस-किस प्रकार की सहूलियतें, सहायता या सहयोग देने का निश्चय किया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो चावल खासकर एफ0 सी0 आई0 लेवी के माध्यम से लेता है, उसमें अरवा और उसना, दोनों चावल का कितने प्रतिशत खरीदने का लक्ष्य रखा गया है?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले वर्ष 1376 परचेज सेंटर थे, जो इस बार बढ़ाकर 1972 कर दिए गए हैं और नियम के मुताबिक वहां पर हमने सब प्रकार की व्यवस्था की है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की सलाह से लेवी आर्डर करना चाहिए, जो उन्होंने बिना सलाह के किया था। अब हमने उनको कहा है और उन्होंने लेवी आर्डर भारत सरकार को भेजा है, जो विचारधीन है। बहुत जल्दी हम लोग उस पर कार्यवाही कर लेंगे। जहां तक राँ

† मूल सूचना हिन्दी में प्राप्त हुई

और पारबायल्ड राइस का संबंध है, उन्होंने अपने लेवी आर्डर में 60 और 40 प्रतिशत बताया है। हमारी कठिनाई यह है कि पारबायल्ड राइस की डिमांड बहुत कम है। बहुत-सी राज्य सरकारें कहती हैं कि हम उनको प्रोक्योर करें, लेकिन पीडीएस में उसको नहीं लगाते हैं छत्तीसगढ़ में चार साल से पुराना पांच लाख टन पारबायल्ड राइस हमारे पास पड़ा हुआ है। हम राज्य सरकार को कह रहे हैं कि राँ राइस दीजिए, अगर राँ राइस देंगे तो उठ जाएगा, स्पेस हो जाएगा, वैसे पारबाइल्ड लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन राँ पहले लेंगे और उसके बाद पारबाइल्ड ले लेंगे।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: सभापति महोदय, एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों, पंजाब या हरियाणा में धान और चावल खरीदने के लिए क्या नीति अपनाई गई है? छत्तीसगढ़ में अरवा और उसना चावल, जैसा आपने राँ और पारबाइल्ड राइस का बताया, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा उद्योग राइस उद्योग है, वहां 700 राइस मिलें हैं। वहां पर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान लेवी के माध्यम से अभी तक केन्द्र सरकार खरीदती रही है। अब केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी रूप से उनका धान न खरीदने के कारण अधिकांश राइस मिल बंद होने के कगार पर हैं और किसानों का धान समर्थन मूल्य पर नहीं बिक रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि चावल खरीदने के लिए यानि अरवा और उसना, राँ और पारबाइल्ड राइस खरीदने के लिए कितना प्रतिशत आप निर्धारित करेंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पारबायल्ड राइस बिल्कुल नहीं खरीदा जा रहा और राँ राइस को भी कोई न कोई बहाना करके नहीं खरीदा जा रहा है। इससे राइस मिलें बंद होने के कगार पर है और किसानों को समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने में बड़ी भारी कठिनाई हो रही है, पर क्विंटल सौ, डेढ़ सौ रुपए कम पर किसान अपना धान बेचने के लिए मजबूर हैं।

श्री शांता कुमार: ऐसी बात नहीं है। 1999-2000 में 4,51,000 टन पैडी और 9,39,000 टन राइस लिया गया। 2000-2001 में 6,02,000 टन पैडी और 6,35,000 टन चावल लिया गया है और इस साल नवम्बर तक हम 1,87,494 टन ले चुके हैं और आगे भी ले रहे हैं। इतना हम सब जगह कह रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने अन्य प्रदेशों को भी कहा कि जिस पारबायल्ड की आपके यहां खपत नहीं है, देश में डिमांड नहीं है, वह आप हमको क्यों दे रहे हैं, हम उसे कहां रखेंगे, यह नेशनल वेस्टेज है। मुझे यह प्रसन्नता है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है और उन्होंने कहा है कि हम 100 परसेंट राँ दे देंगे, पारबायल्ड नहीं देंगे। आंध्र प्रदेश की सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि वे इस बार पारबायल्ड कम से कम देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को भी तैयार होना चाहिए क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं है, उनके यहां जरूरत नहीं है, देश में खपत नहीं है, उसे लेकर हम कहां रखेंगे और उसे क्यों खराब करें। केवल उन्हीं के प्रदेश में 5,00,000 टन पड़ा है, उसे लेकिन मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि हम राँ लेकर बाद में उसको भी लेंगे, लेकिन हम उसकी मात्रा कम लेना चाहते हैं।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: मंत्री जी आप आप अगर यह स्पष्ट कर दें कि कितने प्रतिशत लेंगे, बाद में भी लेंगे या नहीं लेंगे तो इससे राइस वालों को भी सुविधा होगी और किसानों को भी दाम ठीक मिलेगा।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, एक कठिनाई वहां स्पेस की है और उस कठिनाई के बारे में उस सरकार ने बार-बार कहा है, मुख्य मंत्री जी मुझसे मिले हैं, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं उसमें भी अगर वे राँ देंगे तो उसकी मूवमेंट हो जाएगी। मूवमेंट हो जाएगी, तो जगह क्रिएट हो जाएगी, पारबॉयलड देंगे तो वह वहीं रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले राँ हमें देते जाएं और बाकी प्रदेशों के साथ जैसी हमने सहमति बनाई है, वैसी सहमति उत्तरांचल की सरकार को भी बनानी चाहिए। राँ जितना देंगे हम ले लेंगे और राँ लेने बाद फरवरी-मार्च में हम पारबॉयलड भी ले लेंगे।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मंत्री जी पिछले सालों की तरह हर बार नॉर्थ इंडिया के सब स्टेट्स की सबसे अधिक कम्पलेंट रहती है कि राइस की प्रोक्योरमेंट फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं कर पाता क्योंकि गोदाम की दिक्कत है और सड़कों पर लाखों टन राइस हरियाणा, पंजाब और दूसरी स्टेट्स में पड़ा हुआ है। अगले साल और भी बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद है। तो आपकी जो एफ.सी. आई की प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की पालिसी है, जिसमें एक्सपोर्ट भी इन्कलूड है, आप इसकी एक लांग टर्म पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? पिछली बार इसी हाउस में आपने कहा था कि हमारे पास स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से यह कहा था कि जो राइस के गोडाउंस की, स्टोरेज की फेसिलिटी है, उसको हम प्रियारिटी देंगे, उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बारे में सरकार कोई लांग टर्म पालिसी बनाने के मूड में है ताकि यह जो करोड़ों टन अनाज सड़ रहा है एफ.सी.आई. के गोदामों, में, जो किसी के काम नहीं आ रहा है, उसे बचाया जा सके? एक तरफ यह अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे गरीब लोग भूखों मर रहे हैं। तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई ऐसी पालिसी बनाने के बारे में कोई चिंतन किया है?

सभापति जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल या परसों अपने जजमेंट में कहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के बारे में कोई लांग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। खाली यहां बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इसकी पॉलिसी के बारे में जब प्रधान मंत्री जी ने लाल किले से अनाउंस किया है तो आपको इसका ऐडवांटेज लेना चाहिए और इसकी एक लांग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, पहली बात तो यह है कि गोदामों में अनाज पड़ा सड़ रहा है यह बात भी सत्य नहीं है, यह तथ्य नहीं है। गोदामों में इस समय 600 लाख टन से भी अधिक अनाज है। थोड़ा-बहुत अनाज जो खराब होता है, उसको खराब केटेगरी करके निकाल दिया जाता है। यह कहना कि सारा सड़ रहा है, यह सत्य नहीं है कि इस देश के अंदर

स्टोरेज कैपेसिटी की कमी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस बारे में कहा और भारत सरकार ने नेशनल स्टोरेज पॉलिसी बना ली है, उस पर काम शुरू हो गया है। उस पालिसी के अंतर्गत 5,00,000 टन कैपेसिटी कन्वेंशनल गोदाम की बनाई जा रही है। 21,00,000 टन की कैपेसिटी जो साइलो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गोदाम हैं, उनकी बनाई जा रही है। इसमें जहां तक कन्वेंशनल गोदामों का सवाल है, उनके बारे में इसमें दो मुख्य बातें हैं।

एक तो स्टोरेज को इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस भारत सरकार ने दे दिया है ताकि उसमें निवेश अधिक हो सके। दूसरा इसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्राथमिकता दी है। जो 5 लाख टन कन्वेंशनल गोडाउन की कैपेसिटी हमने बनानी है, उसके लिए जगहें हमने आइडेंटिफाई कर दी है कि यहां-यहां हमें इतनी-इतनी गोडाउन की कैपेसिटी चाहिए। इसके लिए लोगों के ऑफर आ गए हैं, उनको हम फाईनलाइज कर रहे हैं और ये लोग यह 5 लाख टन की कैपेसिटी पूरे देश में बनाएंगे और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सरकार इसमें डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। हम उनको 7 साल की गारंटी देंगे। इस तरह इन लोगों के पार्टिसिपेशन से 5 लाख टन की कैपेसिटी बहुत जल्दी देश में बन जाएगी। महोदय, 21 लाख टन की कैपेसिटी हम बड़े-बड़े साइलो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बना रहे हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सभापति महोदय, यह खत्म नहीं होगा, यह तो राजनीतिक भाषण है।

श्री शांता कुमार: इस बार के प्रोक्योरमेंट से पहले बहुत-से राज्यों को चिंता थी, आशंका थी और पंजाब के मुख्य मंत्री बार-बार हमें कहते थे कि इतना अनाज आप कहाँ रखेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार पंजाब का रिकार्ड प्रोक्योरमेंट हुआ है, आराम से हुआ है। हमने एक और व्यवस्था की है, हमने उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को कहा कि एकदम अगर यह काम नहीं होता तो उनसे बातचीत करके हम 7 साल की गारंटी दे रहे हैं। इस तरह 71 लाख टन की 7 साल की गारंटी हमने 4-5 प्रदेशों में दी है। ये गोडाउन वहां बन गए हैं। पंजाब में उस गारंटी के आधार पर कैपेसिटी क्रियेट हो गई है और उसका इस्तेमाल हो गया है, हरियाणा में यह कैपेसिटी क्रियेट हो गई है और उसका इस्तेमाल हो गया है, आंध्र प्रदेश में यह कैपेसिटी क्रियेट हो गई है और उसका इस्तेमाल हो चुका है।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: सभापति महोदय, यह सिर्फ पेपर बोलता है ...(व्यवधान) ये गलत बता रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. अलादी पी. राजकुमार: इसमें बहुत कठिनाई है। बहुत-सी प्राइवेट पार्टीज और बहुत-से लोग आगे आगे आए हैं गोदाम बनाने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए लेकिन उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन में जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां बढ़ा है जैसे बिजली बढ़ गई, पानी आप दे रहे हैं, इसलिए वहां काफी उत्पादन होने की संभावना है।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी को इसके बारे में एक बयान देना चाहिए क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक से बहुत कठिनाई है। Private parties are ready to construct godowns, but they face a lot of difficulties. अगर थोड़ा-बहुत इंट्रस्ट आप कम कर देंगे तो और ज्यादा लोग गोडाउन बनाने के लिए आगे आएंगे। आंध्र प्रदेश में आने वाले दिनों में 130-140 लाख टन का चावल आएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक मीटिंग करके उन लोगों से बात करें तो आसानी से कैपेसिटी बढ़ सकती है।

सभापति महोदय, अभी तो अनाज गोदामों में सड़ रहा है और खराब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से पूछा था कि इसका समाधान दो, क्यों ऐसा हो रहा है? Still there are starvation deaths all around the country. इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए आप एक बयान दीजिए।

श्री शांता कुमार: माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जो पहले बात कही है, उसमें मैंने यही कहा है ...**(व्यवधान)**

डा. अलादी पी. राजकुमार: आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में दिया है, आंध्र प्रदेश में नहीं दिया है, वहां बहुत कठिनाई है, हमको मालूम है ...**(व्यवधान)**

श्री शांता कुमार: आंध्र प्रदेश को दे दिया है। वे 15 लाख टन की मांग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट उसको ऐक्जामिन कर रहा है। हमको लग रहा है कि वहां 5 लाख टन की गारंटी और देने की जरूरत है। वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 10 लाख टन और चाहिए, डिपार्टमेंट उसको ऐक्जामिन कर रहा है।

सभापति जी, हमने जो स्कीम बनाई है, उसमें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहां 10 लाख टन का गोडाउन चाहिए, तब वहां से हमें पार्टियों के ऑफर मिलते हैं। जिस क्षण हम 7 साल की गारंटी दे देते हैं, बैंक तुरंत फाइनेंस कर देते हैं। बैंकों की फाइनेंस करने में तब तक कठिनाई है जब तक हम गारंटी नहीं देते। जिस क्षण हम गारंटी दे देते हैं कि हम इनको 7 साल के लिए लेंगे तो बैंक आश्वस्त हो जाते हैं कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, फिर तो होड़ लग जाती है। इस प्रकार बैंकों से फाइनेंस करने में कोई कठिनाई नहीं है। ज्यों ही हम उनका ऑफर ऐक्जामिन कर लेते हैं और 7 साल की गारंटी उस पार्टी को दे देते हैं, त्यों ही बैंक एकदम फाइनेंस कर देते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि नेशनल स्टोरेज पालिसी बहुत सफल होगी। इसके माध्यम से यह गोडाउन कैपेसिटी क्रियेट होगी और यह प्राइवेट पार्टिसिपेशन से क्रियेट होगी।

डा. अलादी पी. राजकुमार: सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बैंक फाइनेंस कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितनी पार्टियों को बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, इस बारे में वे एक स्टेटमेंट सदन में रखें।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): माननीय सदस्य ने ठीक सवाल पूछा है। सभापति महोदय, मुश्किल यह है कि लाल किले पर खड़े होकर ऐलान करना और धरातल पर गोदाम बनवाना इनमें काफी दूरी है और इस दूरी को कम करने की कोशिश की जा रही है और हम ऐसा वक्तव्य भी रखने के लिए तैयारी हैं जिससे पता लगे कि गोदामों के लिए बैंकों से कितना ऋण दिया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव रंजन 'ललन': सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह खरीदारी पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सचाई यह नहीं है। एक तरफ तो इन्होंने जो प्रोक्योरमेंट सेन्टर्स खोले हैं वे इतनी सीमित मात्रा में स्वीकृत किए हैं कि उन पर पूरी खरीदारी नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ जब किसान अपना धान लेकर प्रोक्योरमेंट सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर एफ.सी.आई. के जो आफिसर खरीद करने के लिए नियुक्त होते हैं वे उसकी क्वालिटी खराब है ऐसा कहकर अनाज छांट देते हैं। हमारे यहां बिहार में पिछले साल पूरी रात-रात भर किसान ट्रैक्टर पर अनाज लेकर सेंटर पर खड़े रहे और दो दिन तक रात भर उन्होंने इंतजार किया लेकिन उनका धान नहीं खरीदा गया। ऐसा लगता है कि यह घोषणा तो सरकारी है कि हम खरीद रहे हैं लेकिन वास्तविक रूप में कोई अघोषित नीति है जिसमें इसको जितना क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर सकते हैं उतना करें और उनको लटकाएं। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि सरकार यह बताये कि इस बार कितने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और खोले जायेंगे और उनमें खरीदारी का लक्ष्य कितना होगा?

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, स्थिति यह है कि 1996-97 में 122 लाख टन चावल प्रोक्योर किया और अब 191 लाख टन प्रोक्योर किया। गंदम व्हीट हमने 81 लाख टन 1996-97 में प्रोक्योर किया था। अब 81 लाख टन के मुकाबले में 206 लाख टन हमारे गोदामों में आ गया है। अगर हम प्रोक्योर नहीं करते हैं तो यह कहां से आ रहा है। यह कहना सत्य नहीं है कि हम प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': बिहार में कितना किया है?

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, कहीं पर भी परचेज सेन्टर्स कम नहीं हुये हैं बल्कि परचेज सेन्टर्स की संख्या बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी मैंने आपको दे दिये हैं।

SHRI YADALPATI VENKATA RAO: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the Minister whether there is any proposal to purchase paddy directly from the farmers in Andhra Pradesh.

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, पैडी खरीदने की एक प्रक्रिया 30 और 70 के अन्तर्गत है। पैडी 70 प्रतिशत राज्य सरकार की एजेन्सीज़ लेती है और 30 प्रतिशत एफ.सी.आई. लेती है। वह नियम सभी प्रदेशों में बराबर है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Mr. Chairman, Sir, ultimately, it is the good Government that has felt the necessity of creating more storage facilities. Sir, in this connection, I want to make two suggestions. Many private people are coming forward for the construction of godowns. But there are two constraints. One thing, it should be declared as a priority sector, and advances should be made available by the Banks. The second aspect is, the 7-year-package which the Government is giving at the prevailing rate of interest is not viable. The loans that are being given for the construction of additional storage should be at a differential rate of interest. I would like to know from the Minister whether the Government is in a position to consider this suggestion.

श्री शांता कुमार: सभापति महोदय, सुझाव सराहनीय है।

Telecom services in Tripura

* 164. SHRI KHAGEN DAS: Will the Minister of COMMUNICATION be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up a time-bound action plan to improve and strengthen Telecom services in Tripura;

(b) whether internet services have been extended to all the districts and the sub-divisional headquarters of the State; if not, by when this work is likely to be completed; and

(c) by when the cellular mobile phone service and paging service are likely to be extended to Agartala?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI PRAMOD MAHA.TAN): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) Internet services have been extended to all the District Headquarters and Sub-divisional headquarters of Tripura.

(c) Extension of Cellular Mobile phone service and Paging service is not permitted for the present in Agartala in view of the special circumstances prevailing there.

SHRI KHAGEN DAS: Mr. Chairman, Sir, is any region which is geographically remote supposed to be remote from the telecom point of view also? This neglect has only increased the alienation of the region from the rest of the country. In this context, part (a) of my first supplementary-is: Will the Minister give a deadline by which the State capital will have the standby links